भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4816

सोमवार, 23 मार्च, 2020 / 3 चैत्र, 1942 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के मामलों का निस्तारण

4816. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के कुल कितने मामलों का निस्तारण किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निस्तारण के लिए लंबित ईपीएफ के मामलों की, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या दावों को प्रक्रिया में लाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निस्तारण दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार का दावों के निस्तारण अवधि कम करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित दावों के शीघ्र निस्तारण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निस्तारित किए गए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**निस्तारित गए कुल मामलों की संख्या**
2016-17	70,10,928
2017-18	85,72,133
2018-19	1,15,21,930
2019-20 (29.02.2020 तक)	1,50,88,002

(ख) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 72(7) के अनुसार आवश्यक कागजात के साथ प्रस्तुत किए गए सभी प्रकार से पूर्ण दावों का निस्तारण किया जाएगा और आयुक्त द्वारा इसके प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा। चूंकि दावों का प्राप्त होना एक निरंतर प्रक्रिया है इसलिए निस्तारण के लिए मामलों का किसी भी समय पूरी तरह से लंबित न होना संभव नहीं है। वर्तमान में संगठन किसी दावों के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर लगभग दो-तिहाई ईपीएफ दावों का निस्तारण करने में सफल रहा है। और शेष दावों का निस्तारण अधिदेश के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ): सेवा प्रदायगी में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। ईपीएफओ ने दावों के शीघ्र निस्तारण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों में दावे का फॉर्म ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जमा करने का विकल्प प्रदान करना, कुछ मेनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त कर निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाना, दावों के अनुमोदन की स्तरों की संख्या को तीन स्तरों से घटा कर दो स्तर करना और अभिदाताओं को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से भुगतान करना शामिल है।

*****